कृपया प्रकाशनार्थ **29 अप्रैल 2012**

मछुआरों को 4% ब्याज से कर्ज तथा डिजल पर रियायत दिलाने के लिए मदद करने का कृषि मंत्री श्री.शरद पवार का वादा

मुंबई, रविवार : मछुआरों को 4 प्रतिशत ब्याज दर से कर्जा दिलाने के लिए तथा मछुआरी नावों के डिजल पर की रियायत रु.4 करने के लिए अगुवाई करने का वादा कृषि मंत्री श्री.शरद पवार ने किया है. पूर्व पेट्रोलियम मंत्री श्री.राम नाईक के नेतृत्व में उनसे दिल्ली में गुरुवार को मिले भाजपा प्रतिनिधी मंडल को श्री.पवार ने यह आश्वासन दिया. सांसद श्री.पियुष गोयल के साथ - साथ विधायक श्री.चिंतामण वनगा, महाराष्ट्र राज्य मच्छिमार सहकारी संघ के अध्यक्ष श्री.राजन मेहेर, श्री.रामदास मेहेर, बोरीवली की पार्षद श्रीमती मनिषा चौधरी, वसई - विरार महानगरपालिका के पार्षद श्री.राजन नाईक, भाजपा महाराष्ट्र आय.टी.सेल के श्री.विनित गोयंका प्रतिनिधी मंडल में सम्मिलित थे. चर्चा के समय केंद्रिय कृषि विभाग के कई आला अधिकारी भी उपस्थित थे.

श्री.राम नाईक ने इस चर्चा की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा,''मछुआरी संस्थाओं को नॅशनल कोआपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनसीडीसी) की ओर से महाराष्ट्र सरकार के जरिए जो कर्जा मिलता है उस पर लगभग 13 प्रतिशत ब्याज लगाया जाता है. वर्ष 2012 - 13 के बजट में वित्त मंत्री श्री.प्रणव मुखर्जी ने किसानों को 7 प्रतिशत ब्याज दर से कर्जा देने की घोषणा की. साथ ही साथ जो किसान समय पर भुगतान करेंगे उन्हे अतिरिक्त 3 प्रतिशत छूट देने की भी घोषणा की. इस का साफ मतलब यह है कि जो किसान कर्जे को समय पर लौटाएंगे उन्हे केवल 4 प्रतिशत ब्याज से कर्जा मिलेगा. चुंकि मछुआरी को सागर पर की खेती माना जाता है, मछुआरों को भी 4 प्रतिशत ब्याज से कर्जा मिलना चाहिए, ऐसी माँग हमने की. इस माँग को जायज कहते हुए इस संदर्भ में वित्त मंत्री से चर्चा कर 4 प्रतिशत ब्याज दर से मछुआरों को भी कर्जा दिलाने की कोशिश करने का आश्वासन कृषि मंत्री श्री.शरद पवार ने दिया.''

कर्जे के ब्याज दर के साथ - साथ डिजल की एक्साईज डयूटी पर पहले से दी जा रही रियायत के बारे में भी प्रतिनिधी मंडल ने कृषि मंत्री से चर्चा की. मछुआरों को उनकी नावों को लगनेवाले डिजल पर 1990 में श्री.राम नाईक ने की माँग के बाद तत्कालिन वित्त मंत्री प्रा.मधु दंडवते ने प्रति लिटर 35 पैसे की छूट देने का निर्णय किया था. मछुआरों के विकास की दृष्टी से यह निर्णय लिया गया. बाद में डिजल के दाम तो बढते गए मगर रियायत ज्यों कि त्यों रही. इसलिए जब श्री.राम नाईक पेट्रोलियम मंत्री बने तब उन्होने यह रियायत रु.1.50 तक बढायी . उसके बाद यह छूट रु.4 तक बढाने की माँग मछुआरे संगठन कर रहे थे. इस माँग को देखते हुए ग्यारहवी पंचवार्षिक योजना के लिए याने वर्ष 2007 - 2008 से 2011 - 2012 तक यह रियायत रु.3 तक

..2..

बढाने का निर्णय 19 फरवरी 2009 को भारत सरकार ने लिया. मगर यह निर्णय लेते समय शर्त रखी गयी कि यह रियायत केवल गरीबी रेखा के निचे के (बीपीएल) मछुआरों को ही मिलेगी. गरीबी रेखा के निचे के मछुआरे के पास खुद की डिजल पर चलनेवाली नाव होना व्यवहारतः संभव नही है इस सचाई की ओर तब श्री.राम नाईक ने कृषि मंत्री, वित्त मंत्री तथा प्रधानमंत्री डा.मनमोहन सिंह का ध्यान आकर्षित किया था. मगर इस शर्त में बदलाव नही किया गया. नतिजा यह हुआ कि पिछले पाच वर्षो में एक भी मछुआरो को इस रियायत का लाभ नही हुआ. यह बात प्रतिनिधी मंडल ने कृषि मंत्री को बतायी और बढे हुए डिजल दामों को देखते हुए सभी मछुआरों को डिजल पर प्रति लिटर रु.4 की रियायत देने की माँग की. "इस विषय पर फिर से वित्त मंत्री तथा प्रधान मंत्री से विचारविमर्श कर बारहवी पंचवार्षिक योजना से याने वर्ष 2012 - 13 से यह छूट दिलाने का प्रयास करुंगा", ऐसा आश्वासन कृषि मंत्री श्री.शरद पवार ने दिया है, ऐसा भी श्री.राम नाईक ने बताया.

सागर किनारे से 12 नॉटीकल मील तक राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र होता है. किंतु अब किनारे के पास का पानी प्रदूषित होने के कारण मछुआरों को सागर में काफी अंदर जाना पडता है. यहाँ कई बार मछुआरों में आपसी संघर्ष होते रहते है. किंतु इन्हे सुलझाने के लिए फिलहाल इस क्षेत्र में किसी भी न्याय यंत्रणा को अधिकार नही है. इस विषय में कानून बनाने पर अलग - अलग मंत्रालयों में विचारविमर्श जारी है ऐसा 17 मार्च 2009 को कृषि मंत्री श्री.शरद पवार ने एक पत्रद्वारा श्री.राम नाईक को सूचित किया था. इस विषय की जब चर्चा निकली तब अभी भी गृह मंत्रालय ने इस संदर्भ में निर्णय नही किया है, ऐसी जानकारी कृषि मंत्री ने श्री.राम नाईक तथा प्रतिनिधी मंडल को दी. "श्री.पवार ने माना कि समुद्र में कानून व व्यवस्था का मुद्दा काफी अहम् है और इसलिए इस विषय में अगुवाई कर उसे सुलझाने की वें पुरी कोशिश करेंगे," ऐसी जानकारी भी श्री.राम नाईक ने अपने परिपत्रक के अंत में दी है.

(कार्यालय मंत्री)